छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ. ग.) के समक्ष
रिट याचिका संख्या:-2062/04(एकल पीठ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओ

1. **प्रशासक,**
लाहिडी बहुउद्देशीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय, चिरमिरी,
पी.ओ.- चिरमिरी, जिला-कोरिया
(छ.ग.)

2. **प्राचार्य**,
लाहिडी बहुउद्देशीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय, चिरमिरी,
पोस्ट- चिरमिरी, जिला-कोरिया
(छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. **श्रीमती. विद्यावती चतुर्वेदी**
पति स्वर्गीय श्री रूपनारायण चतुर्वेदी
पोस्ट -छोटा बाजार, बांग्ला प्राइमरी
स्कूल के पास, चिरमिरी, पो...-
चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.),

2. **नियंत्रण प्राधिकारी**,
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत
श्रम आयुक्त अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका संख्या 2062/2004

प्रशासक,
लाहिडी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
और अन्य

बनाम

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी एवं अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01.08.2005

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका संख्या 2062/2004

प्रशासक,
लाहिड़ी बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूल
एवं अन्य

बनाम

श्रीमती. विद्यावती चतुर्वेदी एवं अन्य

....
श्री विनीत कुमार पांडेय, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।
श्री राजीव श्रीवास्तव, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता।
....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(दिनांक 01.08.2005)

न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

(1) एक संक्षिप्त किंतु महत्त्वपूर्ण प्रश्न इस रिट याचिका में विचारार्थ उत्पन्न होता है कि क्या एक सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्था का प्राचार्य "कर्मचारी" की परिभाषा में आता है जैसा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2(ई) में परिभाषित है (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा), तथा क्या ग्रेच्युटी के भुगतान का लाभ उसे प्रदान किया जा सकता है या नहीं?

(2) याचिकाकर्ता क्रमांक 1 इस संस्था का प्रशासक है और याचिकाकर्ता क्रमांक 2 लाहिड़ी मल्टीपरपज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, चिरिमीरी, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) के प्राचार्य हैं। यह एक सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि स्वर्गीय रूपनारायण चतुर्वेदी को इस संस्था में दिनांक 20.07.1966 को नियुक्त किया गया था। वे सेवा में रहते हुए दिनांक 21.09.2001 को दिवंगत हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी, जो कि प्रतिवादी क्र.1 हैं, ने संस्था के प्रबंधन के समक्ष ग्रेच्युटी भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।...संस्था के समक्ष, परंतु वह आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात,

उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त प्राधिकारी ने दिनांक 31.01.2004 को आदेश पारित करते हुए रु. 1,99,298/- की ग्रेच्युटी राशि प्रतिवादी क्र 1 को प्रदान किए जाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कथन है कि चूंकि दिवंगत व्यक्ति इस संस्था में एक "शिक्षक" थे, अतः वे उक्त अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत "कर्मचारी" नहीं माने जा सकते, और इसलिए उन्हें या उनके विधिक प्रतिनिधि (प्रतिवादी क्र 1) को ग्रेच्युटी भुगतान का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः, नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन स्वीकार्य नहीं था। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा धारा 4 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना कानून में त्रुटिपूर्ण था और उनका पारित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

(3) प्रतिवादी क्र 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्र 1 1 का कथन है कि उनके पति को वर्ष 1966 में इस संस्था में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु बाद में उन्हें प्रबंधन के आदेश दिनांक 01.03.1989 के द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, और यह आदेश सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.11.1989 को अनुमोदित एवं अनुमन्य किया गया। इन दोनों आदेशों की प्रतियाँ परिशिष्ट R-1/1 और R-1/2 के रूप में अभिलेख में सम्मिलित की गई हैं। उनका यह भी कथन है कि सहायता प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्था का प्राचार्य अधिनियम की धारा 2(ई) की परिभाषा के अंतर्गत "कर्मचारी" होता है और वह कानून के अंतर्गत ग्रेच्युटी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रत्युत्तर के प्रत्युत्तर (Rejoinder) में, याचिकाकर्ताओं ने यह कहा है कि यद्यपि दिवंगत व्यक्ति प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु उन्होंने स्वयं. एक आवेदन दिनांक 14.12.1996 को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि वे प्राचार्य के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वह संस्था में अंग्रेज़ी विषय के शिक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं। उन्होंने इस्तीफे की प्रति संलग्नक पी-3 के रूप में प्रस्तुत की है। उन्होंने प्रत्युत्तर के पैरा 2 में यह भी कहा है कि प्राचार्य के पद पर रहते हुए, दिवंगत प्रतिदिन विभिन्न कक्षाओं में अंग्रेज़ी विषय के तीन पीरियड लेते थे, अतः दिवंगत शिक्षक का कार्य भी कर रहे थे। उन्होंने समय-सारणी की प्रति संलग्नक पी-4 के रूप में संलग्न की है। उक्त दिनांक 14.12.1996 के इस्तीफे पत्र में यह टिप्पणी है कि "प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।" इस पत्र की स्वीकृति के संबंध में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही यह दावा किया गया है कि उक्त इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और प्राचार्य के पद से त्यागपत्र देने के बाद दिवंगत उक्त संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे।

(4) जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 का प्रश्न है, उन्होंने नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, परंतु याचिकाकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए उपरोक्त दावों के संबंध में कोई लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया। नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रतिवादी संख्या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1 की जाँच की, जिन्होंने अपने कथनों में अपने दावों का समर्थन किया। प्रबंधन की ओर से श्री पी.एस. खेडवकर का परीक्षण किया गया, जिन्होंने कहा कि संस्था की प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया है और नई प्रबंधन समिति केवल प्रतिवादी संख्या 1 के मामले पर ही विचार कर सकती है।

(5) दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेज़ों के विश्लेषण के पश्चात, नियंत्रक प्राधिकारी ने आपत्ति की गई आदेश द्वारा दिनांक 31.01.2004 के आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दिवंगत रूपनारायण चतुर्वेदी उक्त शैक्षणिक संस्था के 20.07.1966 से 21.09.2001 तक लेक्चरर एवं प्राचार्य के पद पर कार्यरत "कर्मचारी" थे, अतः वे अनुग्रह राशि (gratuity) के भुगतान के पात्र थे तथा उनकी पत्नी को अनुग्रह राशि के रूप में ₹1,99,298/- की राशि प्राप्त करने का अधिकार है। यही वह आदेश है जिसे इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की व्यापक रूप से सुनवाई की है तथा रिट याचिका के साथ प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) रिट याचिका, प्रत्युत्तर, पुनरुत्तर एवं नियंत्रक प्राधिकारी के विवादित आदेश का अवलोकन करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि दिवंगत व्यक्ति को वर्ष 1966 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 01.03.1989 को उन्हें **म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति) नियम, 1988** के प्रावधानों के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। उनकी यह पदोन्नति राज्य की सक्षम प्राधिकारी द्वारा 06.11.1989 को लोक शिक्षा संचालनालय, म.प्र., भोपाल द्वारा पारित आदेश के माध्यम से अनुमोदित की गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि दिवंगत दिनांक 01.03.1989 से प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे। यद्यपि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनरुत्तर में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिवंगत रूपनारायण ने अपना त्यागपत्र दिया था एवं दिनांक 14.12.1986 को अंग्रेज़ी शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु आवेदन किया था, तथापि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में कोई ठोस तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई दस्तावेज़ अभिलेख पर लाया गया है——न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष——जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्राचार्य पद से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था और वास्तव में वे उस संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। उक्त संस्था में याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह (दिवंगत) संस्थान में अंग्रेज़ी विषय की कुछ कक्षाएँ ले रहे थे, इसके लिए उन्होंने समय-सारणी प्रस्तुत की है, परंतु उन्होंने यह प्रदर्शित नहीं किया कि वे केवल शिक्षक की हैसियत से ही कक्षाएँ ले

रहे थे। इसके विपरीत, उनकी याचिका में यह स्वीकार किया गया है कि प्राचार्य के पद पर रहते हुए भी दिवंगत अंग्रेज़ी विषय की कक्षाएँ ले रहे थे। इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु समय-सारणी की प्रति को परिशिष्ट पी-4 के रूप में संलग्न किया गया है। यदि हम इस दस्तावेज़ की सामग्री का परीक्षण करें, तो यह प्रतीत होता है कि यह शैक्षणिक सत्र 2001-2002 की समय-सारणी है, जिसका तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ताओं की पुनरुत्तर की पैरा-2 की दलीलों के अनुसार यह स्वयं उनका यह स्वीकार है कि दिवंगत शैक्षणिक सत्र 2001-2002 में प्राचार्य के रूप में कार्यरत थे और प्राचार्य के कार्य के साथ-साथ वे उस संस्था में अंग्रेज़ी विषय की कक्षाएँ भी ले रहे थे। स्वीकार्य रूप से, दिवंगत की मृत्यु दिनांक 21.09.2001 को हुई। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनरुत्तर में किए गए इस कथन के आधार पर सहज रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृत्यु के समय दिवंगत प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे।

(8) **मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल विनियमन अधिनियम, 1975** (जिसे आगे "अधिनियम 1975" कहा जाएगा) की धारा 2(क) एवं 2(ख) के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राचार्य को "शिक्षक" की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और यह कि शिक्षकों को 1972 का भुगतान अनुग्रह अधिनियम की धारा 2(ई) के अर्थ में "कर्मचारी" नहीं माना गया है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Ahmedabad Pvt. Primary Teachers Assn. बनाम Administrative Officer and others (2004) 1 SCC 755** मामले में निर्णय दिया है। अतः चूँकि दिवंगत संस्था में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे, वे उक्त परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। शिक्षक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और उनकी पत्नी 1972 के अधिनियम के अंतर्गत ग्रैच्युटी (अनुग्रह राशि) के भुगतान की पात्र नहीं होंगी। मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 2(क) और 2(ख) इस प्रकार उद्धृत की जाती हैं:

> "**2(क) "शिक्षक" में विद्यालय के प्रधानाचार्य को सम्मिलित किया गया है;**
>
> **2(ख) "विद्यालय का प्रधान" से अभिप्राय मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधान शैक्षणिक अधिकारी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए"**

शब्द "कर्मचारी" की परिभाषा **अनुग्रह भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2(ई)** के अंतर्गत निम्नानुसार दी गई है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"2(ई) 'कर्मचारी' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (जिसमें प्रशिक्षु सम्मिलित नहीं है) जो किसी प्रतिष्ठान, फैक्टरी, खदान, तेल क्षेत्र, वृक्षारोपण, पोर्ट, रेलवे कंपनी या दुकान में, किसी भी कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षकीय, तकनीकी या लिपिकीय कार्य में वेतन पर नियोजित हो, चाहे उस रोजगार की शर्तें स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से लागू हों [और चाहे वह व्यक्ति प्रबंधकीय या प्रशासनिक पद पर कार्यरत हो या नहीं]। परंतु, इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद पर कार्यरत हों तथा जिनका कार्य किसी अन्य अधिनियम या किसी नियम के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान के लिए विनियमित हो।"

(9) **Ahmedabad Pvt. Primary Teachers' Assn.** (उपरोक्त) मामले में जब उनके अनुग्रह राशि के भुगतान के अधिकार पर विचार किया गया, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "यह अधिनियम 1972 एक प्रकार का सामाजिक कल्याण अधिनियम है और यह ग्रैच्युटी के भुगतान से संबंधित है, जो कि पेंशन, भविष्य निधि आदि की भाँति एक प्रकार का सेवा-निवृत्त लाभ है। ग्रैच्युटी का शाब्दिक अर्थ है — एक उपहार, विशेषतः सेवा प्रदान करने पर अथवा उपकार के बदले में दी गई कोई राशि। वेतन अर्जित करने वाले वर्ग के लिए यह आय की सुरक्षा का एक साधन है, विशेष रूप से तब जब कार्यकर्ता वृद्ध हो जाए या अशक्तता, सेवानिवृत्ति उपरांत सहायता का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अधिनियम में समाहित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा उपायों की प्रकृति के हैं, जैसे कि रोजगार बीमा, भविष्य निधि और पेंशन। ग्रैच्युटी का मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत यह है कि यह कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद सहायता प्रदान करे, चाहे वह सेवानिवृत्ति अधिवार्षिता, शारीरिक विकलांगता या शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग की अक्षमता के कारण हो। "ग्रैच्युटी" शब्द स्वयं यह संकेत करता है कि यह एक अनुग्रह भुगतान है, जो किसी कर्मचारी को सेवा समाप्ति, अधिवार्षिता अथवा मृत्यु के अवसर पर दिया जाता है। ग्रैच्युटी वह राशि होती है, जिसे बिना किसी प्रतिफल या विचार के, निःस्वार्थ, स्वेच्छा से और प्रतिदान के बिना दिया जाता है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिए एक प्रकार की वित्तीय सहायता है।

(10) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शिक्षक उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा में आते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान विषय से संबंधित अन्य विधानों की सहायता ली और इस अधिनियम के प्रावधानों पर "pari materia" (समान विधिक प्रकृति) के सिद्धांत के अंतर्गत विचार किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साथ ही "कार्यकर्ता" की परिभाषा (धारा 2(स), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947), "कर्मचारी" की परिभाषा (धारा 2(ज), न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948), धारा 2(13) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा धारा 2(छ), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के आधार पर तुलना की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 2(ई) में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की सामान्य व्याख्या के आधार पर, वे शिक्षक जो मुख्यतः शिक्षा देने हेतु नियुक्त हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रैच्युटी लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि "शिक्षक" इस अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। "कर्मचारियों" के विवरण में जो "प्रशिक्षित" (skilled), "अर्ध-प्रशिक्षित" (semi-skilled) अथवा "अप्रशिक्षित" (unskilled) हैं, इन तीनों शब्दों का परस्पर प्रयोग यह संकेत करता है कि "अप्रशिक्षित" वह व्यक्ति है जो निपुण नहीं है और "अर्ध-प्रशिक्षित" वह व्यक्ति हो सकता है जो इन दोनों श्रेणियों के बीच आता है, अर्थात् जो न तो पूर्णतः प्रशिक्षित है और न ही पूर्णतः अप्रशिक्षित। इस संबंध में उठाई गई यह आपत्ति कि अध्यापकों को "अप्रशिक्षित" या "प्रशिक्षित" की परिभाषा में शामिल माना जाए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि अध्यापक "प्रबंधकीय" अथवा "प्रशासनिक" पद पर नियुक्त नहीं होते हैं। कभी-कभी यदि वे प्रशासनिक कार्य अपने शिक्षण कार्य के साथ करते भी हैं, तो भी चूंकि उनका मुख्य कार्य शिक्षा देना है, उन्हें "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" क्षमता में नियुक्त नहीं माना जा सकता। अतः, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अध्यापक स्पष्ट रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) उपर्युक्त निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ताओं के पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि चूंकि मृतक भी एक शिक्षक थे, और 1975 के उक्त अधिनियम में प्रयुक्त "शिक्षक" शब्द में विद्यालय के प्रधान को भी शामिल किया गया है, जिसे "प्रधानाचार्य" के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए प्रधानाचार्य भी शिक्षक की परिभाषा में सम्मिलित माने जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स असोसिएशन (supra) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, प्रधानाचार्य भी अनुग्रह राशि (gratuity) के लिए पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क भ्रांत (misconceived) हैं। उक्त अधिनियम में "शिक्षक" की परिभाषा केवल उस अधिनियम के प्रयोजनों तक सीमित है। "शिक्षक" की परिभाषा में यद्यपि "प्रधानाचार्य" को सम्मिलित किया गया है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है और 1975 के उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु "शिक्षक" की परिभाषा में सम्मिलित है, वह व्यक्ति 1972 की अनुग्रह राशि भुगतान अधिनियम के अंतर्गत "कर्मचारी" के रूप में माना जाएगा। कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ, जो विधि के मुख्य भाग में प्रयुक्त होती हैं, सामान्यतः उस विधि की परिभाषा खंड में

सम्मिलित होती हैं। ऐसी परिभाषा का उद्देश्य उस विषय वस्तु के वर्णन में बार-बार की पुनरावृत्ति से बचना होता है, जिस पर वह परिभाषित शब्द या अभिव्यक्ति लागू होती है। परिभाषा खंड किसी पूर्ववर्ती विधि से परिभाषा को ग्रहण कर सकता है और वह परिभाषा आवश्यक नहीं कि केवल परिभाषा खंड में ही हो, बल्कि उस पूर्ववर्ती विधि के किसी अन्य उपबंध में भी हो सकती है। किसी परिभाषा को ग्रहण करने या संदर्भ के माध्यम से सम्मिलित करने की स्थिति में वह परिभाषा कभी-कभी संबंधित विधि के अंतर्गत बनाए गए नियमों में भी मिल सकती है। जब किसी शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि उसका अर्थ "फलाँ और फलाँ" है, तब वह परिभाषा प्रथम दृष्टया सीमित और संपूर्ण मानी जाती है। इसके विपरीत, जब किसी शब्द को "फलाँ और फलाँ को सम्मिलित करता है" के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक मानी जाती है। **(कृपया देखें: न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा रचित "विधिक व्याख्या के सिद्धांत", छठा संस्करण, 1996, पृष्ठ 124, 125 तथा 126)** अतः, 1975 के अधिनियम में प्रयुक्त "शिक्षक" शब्द की परिभाषा, जिसमें विद्यालय के प्रधान (मुख्याध्यापक) को सम्मिलित किया गया है — जिसका अभिप्राय "प्रधान शैक्षणिक अधिकारी" है — एक विस्तृत परिभाषा है, जिससे कि "प्रधानाचार्य" को सम्मिलित किया जा सके। किंतु यदि हम 1972 की अनुग्रह राशि भुगतान अधिनियम में उल्लिखित "कर्मचारी" की परिभाषा का परीक्षण करें, तो यह प्रतीत होता है कि यह परिभाषा प्रथम दृष्टया यह परिभाषा सीमित और संपूर्ण है। यह शब्दों से प्रारंभ होती है "कर्मचारी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति" और फिर यह अनेक प्रकार के कर्मचारियों का उल्लेख करती है, साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि "क्या वह व्यक्ति प्रबंधकीय या प्रशासनिक दायित्व में कार्यरत है या नहीं।"उपरोक्त स्थिति में, 1972 के अधिनियम में "कर्मचारी" की परिभाषा को सीमित अर्थ में लिया जाना चाहिए, अतः इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में "कर्मचारी" शब्द का वही अर्थ ग्रहण किया जाएगा जो केवल परिभाषा खंड में निर्दिष्ट है। अन्य किसी विधि से शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का अर्थ उधार लेकर किसी विशेष व्यक्ति को इस अधिनियम में वर्णित "कर्मचारी" की परिभाषा में सम्मिलित करना या बाहर करना उचित नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर विचार करते हुए विशेष रूप से यह निर्णय दिया कि भले ही अधिनियम 1972 की परिभाषा खंड में प्रयुक्त सभी शब्दों को पृथक रूप से या किसी अन्य प्रकार से पढ़ा जाए, फिर भी "प्रशिक्षित" या "अप्रशिक्षित" शिक्षक इन परिभाषाओं में वर्णित किसी भी कर्मचारी की प्रकृति से मेल नहीं खाते। यह निर्णय दिया गया है कि "प्रशिक्षित" या "अप्रशिक्षित" शिक्षक न तो "कुशल", "अर्द्धकुशल" या "अकुशल", श्रमशील, पर्यवेक्षकीय, तकनीकी या लिपिक कर्मचारी हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि वे "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" दायित्व में भी कार्यरत नहीं माने जाते। यद्यपि वे कभी-कभी अपने शिक्षण कार्य के साथ-साथ कुछ प्रशासनिक कार्य कर लेते हैं, किंतु चूँकि उनका मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए उन्हें "प्रबंधकीय" या

"प्रशासनिक" दायित्व में कार्यरत नहीं माना जा सकता। अतः अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि शिक्षक स्पष्ट रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते।

(13) यदि हम प्रधानाचार्य के प्रकरण की जांच करें और उपरोक्त व्याख्याओं तथा विधिक सिद्धांतों के आधार पर उसका विश्लेषण करें, तो यह प्रतीत होता है कि प्रधानाचार्य संस्था का प्रमुख होता है और उसकी सेवा की प्रकृति शिक्षक की सेवा की प्रकृति से भिन्न होती है। यद्यपि प्रधानाचार्य को कुशल, अर्धकुशल या अकुशल, श्रमशील, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य में संलग्न नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह सदैव पर्यवेक्षकीय कार्य में संलग्न रहता है, जो कि "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" प्रकृति का होता है। एक उदाहरण यह है कि संस्था के प्रमुख को मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पदच्युत करने सेवा से हटाने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 1983 के नियम 7 के अंतर्गत जांच अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाती है। ऐसे मामलों में, जैसे कि वर्तमान मामला, प्रधानाचार्य कभी-कभी शिक्षण कार्य करता है, परंतु चूंकि उसका मुख्य कार्य पर्यवेक्षकीय प्रकृति का होता है तथा उसका कार्य केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं बल्कि प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्य भी सम्मिलित होता है, यह इंगित करता है कि वह 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2(ई) के अंतर्गत एक "कर्मचारी" है। अतः प्रधानाचार्य का मामला शिक्षक के मामले से पृथक और भिन्न है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) उपरोक्त उल्लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के अनुसार, चूंकि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द का अर्थ निर्धारित करने के लिए सामान्यत: वही अर्थ ग्रहण किया जाता है जो परिभाषा खंड में दिया गया है, अतः भले ही प्रधानाचार्य को अन्य विधियों में शिक्षक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया हो, और शिक्षक कर्मचारियों की परिभाषा से बाहर रखे गए हों, फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा **Ahmedabad Pvt. Primary Teachers Assn. (Supra)** के मामले में यह कहा गया कि प्रधानाचार्य को वर्तमान अधिनियम 1972 के उद्देश्य से "शिक्षक" नहीं माना जाएगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" माना जाएगा। अतः मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि:

> “गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था का ‘प्रधानाचार्य’ यद्यपि मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 2(क) और 2(ख) के अर्थों में ‘शिक्षक’ है, लेकिन वह 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2(ई) की परिभाषा के अंतर्गत एक ‘कर्मचारी’ भी है।”

(15) उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, मुझे याचिका में कोई बल प्रतीत नहीं होता। अतः याचिका खारिज की जाती है।

यदि अब तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे आज से एक माह की अवधि के भीतर भुगतान किया जाए। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 मृत कर्मचारी की विधवा है और 1972 का अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है, तथा ग्रेच्युटी पेंशन, भविष्य निधि आदि के समान एक सेवा-समापन लाभ है, इसलिए मैं भुगतान में चूक की स्थिति में ब्याज की शर्त जोड़ना उपयुक्त समझता हूँ। मैं यह आदेश देता हूँ कि यदि ग्रेच्युटी की राशि एक माह की अवधि में अदा नहीं की जाती, तो उक्त राशि पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज लागू होगा।

व्यय संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति
दिनांक:

01.08.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Manisha Dhruw, Adv